न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/67/2024 रजू दिनांकः 15.04.2024 रजि0 न0 2024/103

अपीलार्थीः–

श्री बिलाल नोहरी, निवासी करीम का घर, खनियानी–गडरा रोड़, बाडमेर–344501 (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 13.05.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/624 दिनांक 22.04.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि Online RTI Portal पर सूचना आवेदन सं0 293584186887152 दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से अलवर जिले के इन्दिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना संबंधित पंचायत समिति मुण्डावर व पंचायत समिति राजगढ़ तथा नगरपालिका बहरोड़ की निविदा प्रकिया की नोटसीट/बीओक्यू की समरी आदि विविध सूचना चाही गई थी। वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होने, विभिन्न जिलों/लोक प्राधिकरणों में बिखरी हुई होने के कारण अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चिय किया जाकर सूचना आवेदन खारिज कर Online RTI Portal Despatch No. 8090714094 Date: 03-04-2024 के माध्यम से आवेदक को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)